47

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 623/94 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05.05.94 के द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर के प्रकरण क्रमांक 838/अ—46/82—83.

.....

जगदीश तनय कालू काछी साकिन घुरडाग
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1.रामसजीवन तनय झल्ला कोल
2.लोल्ल वल्द मनबोधी कोल
3.छोटेलाल तनय लक्षमन कोल
निवासी— ग्राम शुक्ला तहसील रधुराजनगर
जिला—सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी , अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 05.5.94 के विरूद्ध म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम घूरडांग की आराजी क्रमांक 358, 359 तथा 360 अनावेदकगण के पटटे एवं कब्जे दखल की आराजी हैं जिस पर

आवेदकगण पक्ष हल्का पटवारी से मिलकर सिकमी कब्जा दर्ज काराकर संहिता के धारा 190, 109, 110 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सतना के समक्ष कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र दिये, अदिवासी होने के कारण निगराकार पक्ष द्वारा संहिता के धारा 165(6) के अनुसार उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र दिये जिसें निरस्त कर दिया गया। इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 28.5.84 को निरस्त किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रिस्पा ने कोई विधि के प्रावधान नही दर्शाये थे कि धारा 109/110/190 मे मामला क्यों नही चल सकता है। अतः तहसीलादार ने आपत्ति खारिज उचित की थी आदिवासी भूमि के हस्तान्तरण पर 1980 के पूर्व कमी अधिकारी से नामातंरण नही हो सकता ऐसा कोई कानून नही था तथा 165/6 के मात्र है शिकमी से अपने आप अंतरण हो जाता है। अतः 165/6 शिकमी से अंतरण पर लागू नही होती ।

4–मेरे द्वारा रिकार्ड देखते यह स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष जबाव दावे में अनावेदकों ने विशेष रुप से धारा 165/6 के आधार पर आपति की थी। अतः आवेदक का प्रथम तर्क है कि विधि का प्रावधान नही दर्शाये थे, इसलिये मान्य योग्य नही है। वस्तुतः धारा 165/6 में यह स्पष्ट है कि आदिवासी भूमि का अंतरण नही होगा । शिकमी के द्वारा भी स्वत्त्व का अंतरण होता है जो अधिकारो का अंतरण है। धारा 190 में है जो धारा 165/6 से प्रभावित नही होता तृतीयत :165/2 का प्रभाव 1980 के पूर्व से ही है । अतः 1980 से ही आदिवासी का हक अंतरित नही होगा।

इसलिये अपर आयुक्त रीवा का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है। इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं समझता हूँ। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 5.5.94 स्थिर रखने योग्य है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 838/अ–46/82–83 में पारित आदेश दिनांक 5.5.94 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर